



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

Office Order No. 51 of 2024

Sub: Reporting Matrix and Broad Areas of work of Officers under Member/Finance.

Ref: (1) Board's office order No. 23 of 2023
(2) Board's office order No. 71 of 2023

In supersession of Board's Office Order No. 23 of 2023, the broad area of work and reporting matrix of officers working under Member (Finance) would henceforth be as per **Annexure I**.

2. The revised organization chart of Member/Finance is enclosed at **Annexure II**.
3. Further, the regular looking after arrangements of AMs/PED whenever on leave/foreign training, apart from their own duties, would be as under:

S.No.	In the absence of	Looking after by	Remarks
(i)	AM/Revenue	AM/Budget	Vice-Versa
(ii)	AM/Revenue & AM/Budget	AM/Finance	--
(iii)	AM/Finance	AM/Budget	--
(iv)	AM/Finance & AM/Revenue	AM/Budget	--
(v)	PED/Accounts	AM/Budget	--

4. Further, in supersession to all previous instructions issued on this subject, it has been decided that following would be the regular looking after arrangement of EDs working under Member/Finance, whenever they are on leave or not in office or the post is temporary vacant:

S. No.	Officer	Link Officers	Remarks
(i)	EDF/C	EDF(RM&PPP) and OSD(MF)	Vice-versa
(ii)	EDFE	EDF/C	--
(iii)	EDFX	EDFS	Vice-versa
(iv)	EDFB	ED(S&E)	Vice-versa

5. The above issues with the approval of competent authority.

No.2024/O&M/7/20
Dated: 22.08.2024


(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email id: t.srinivas1@gov.in
Tele No.: 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi

AM/Revenue, AM/Budget, AM/Finance and PED Accounts
EDF/C, EDFE, EDFX, EDFB, EDF(RM&PPP) and OSD(MF), EDF/S, ED(S&E)

Copy to:-

CRB&CEO, MF, M/TRS, M/O&BD, MI,
Secretary/RB

Copy for information to:-

EDPG/MR, JDPG/MoSR(S), Sectt. of MoSR(R)

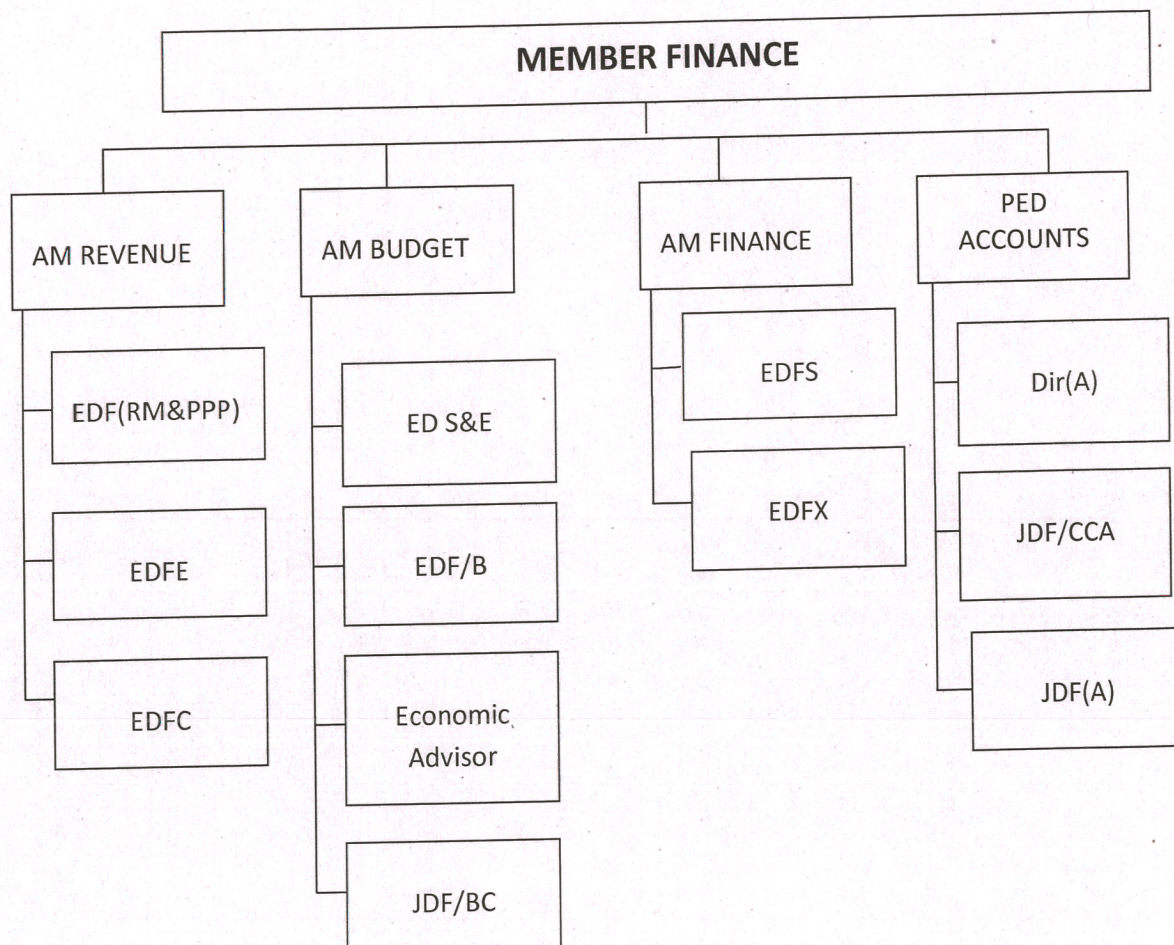
REPORTING MATRIX AND BROAD AREAS OF WORK

AMs/PEDs	Officers Reporting	Broad Areas of work
AM/Revenue	EDF(RM&PPP) EDFE EDF/C	• Finance commercial • Delegation of Powers/commercial matters • PPP • Finance Establishment • Resource Mobilization • Internal Audit
AM/F	EDF/S EDFX	• Finance scrutiny of all M&P proposals • RSP Programme • Delegation of Powers/Stores • Delegation of Powers/works • Finance Expenditure • Tenders Engineering department
AM/Budget	EDF/B ED(S&E) Economic Advisor JDF(BC)	• Budget • Budget committee • Statistics • Performance Costing & Outcome Reporting • Stores Tenders
PED/Accounts	Dir/Accounts JDF/Accounts JDF/CCA	• Accounts compilation • Accounting policies • GST and service tax • Cadre and IT application in accounts • Accounting reforms coordination

NOTE:

- Inspection will be under EDF/C
- EDF/C will look after the work of Internal Audit.
- EDF(RM&PPP) would look after the work of resource mobilization etc.
- JDF/CCA will report cadre related issues to Member Finance through PED/Accounts.

ANNEXURE-II



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 51

विषय: सदस्य/वित्त के अंतर्गत अधिकारियों का रिपोर्टिंग मैट्रिक्स और विस्तृत कार्य क्षेत्र।

- संदर्भ: (1) बोर्ड का 2023 का कार्यालय आदेश सं. 23
(2) बोर्ड का 2023 का कार्यालय आदेश सं. 71

2023 के बोर्ड कार्यालय आदेश सं. 23 का अधिक्रमण करते हुए, सदस्य/वित्त के अधीन कार्यरत अधिकारियों के विस्तृत कार्य क्षेत्र और रिपोर्टिंग मैट्रिक्स अब से **अनुलग्नक-I** के अनुसार होंगे।

2. सदस्य/वित्त का संशोधित संगठन चार्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

3. इसके अतिरिक्त, अपर सदस्य, जब भी अपनी स्वयं की इयूटियों के अलावा अवकाश/विदेश प्रशिक्षण पर हों तब उनका कार्यभार संभालने की नियमित व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

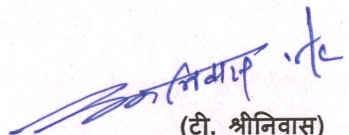
क्रम.सं.	इनकी अनुपस्थिति में	इनके द्वारा संभाला जाएगा	टिप्पणी
(i)	अपर सदस्य/राजस्व	अपर सदस्य/बजट	विलोमतः
(ii)	अपर सदस्य/राजस्व एवं अपर सदस्य/बजट	अपर सदस्य/वित्त	----
(iii)	अपर सदस्य/वित्त	अपर सदस्य/बजट	----
(iv)	अपर सदस्य/वित्त एवं अपर सदस्य/राजस्व	अपर सदस्य/बजट	
(v)	प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा	अपर सदस्य/बजट	----

4. इसके अतिरिक्त, इस विषय पर पूर्व में जारी किए गए सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि जब सदस्य/वित्त अवकाश अथवा कार्यालय में न हों या अस्थायी रूप से पद रिक्त हो, सदस्य/वित्त के अधीन कार्यरत कार्यपालक निदेशकों का कार्यभार देखने के संबंध में नियमित व्यवस्था निम्नानुसार होगी:

क्रम.सं.	अधिकारी	संपर्क अधिकारी	टिप्पणी
(i)	कार्यपालक निदेशक/सी	कार्यपालक निदेशक वित्त (आरएम एंड पीपीपी) और विशेष कार्याधिकारी (सदस्य वित्त)	विलोमतः
(ii)	कार्यपालक निदेशक वित्त स्था.	कार्यपालक निदेशक वित्त/सी	----
(iii)	कार्यपालक निदेशक वित्त व्यय	कार्यपालक निदेशक वित्त (एस)	विलोमतः
(iv)	प्रधान कार्यपालक निदेशक बजट	कार्यपालक निदेशक (एस एंड ई)	विलोमतः

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/20
दिनांक: 22.08.2024


(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
ई-मेल आईडी: t.srinivas1@gov.in
टेलीफोन नं.- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

अपर सदस्य/राजस्व, अपर सदस्य/बजट, अपर सदस्य/वित्त एवं प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा

कार्यपालक निदेशक वित्त/सी, कार्यपालक निदेशक वित्त, स्था., कार्यपालक निदेशक वित्त, व्यय, कार्यपालक निदेशक वित्त, बजट, कार्यपालक निदेशक, वित्त (आरएमएंडपीपीपी) और विशेष कार्याधिकारी (सदस्य वित्त), कार्यपालक निदेशक वित्त/एस, कार्यपालक निदेशक (एसएंडई)

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य वित्त, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/अवसंरचना,
सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (एस), रेल राज्य मंत्री (आर) का सचिवालय

रिपोर्टिंग मैट्रिक्स और कार्य के विस्तृत क्षेत्र

अपर सदस्य/ प्रधान कार्यपालक निदेशक	रिपोर्टिंग अधिकारी	कार्य के विस्तृत क्षेत्र
अपर सदस्य/राजस्व	कार्यपालक निदेशक वित्त/आरएमएंड पीपीपी) कार्यपालक निदेशक वित्त/स्थापना कार्यपालक निदेशक वित्त/सी	• वित्त वाणिज्य • शक्तियों का प्रत्यायोजन/ वाणिज्यिक मामले • पीपीपी • वित्त स्थापना • संसाधन संग्रहण • आंतरिक लेखा
अपर सदस्य/वित्त	कार्यपालक निदेशक वित्त/एस कार्यपालक निदेशक वित्त/व्यय	• सभी एमएंडपी प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा • आरएसपी प्रोग्राम • शक्तियों का प्रत्यायोजन/भंडार • शक्तियों का प्रत्यायोजन/निर्माण • वित्तीय व्यय • निविदा इंजीनियरी विभाग
अपर सदस्य/बजट	कार्यपालक निदेशक वित्त/बजट कार्यपालक निदेशक/एसएंडई आर्थिक सलाहकार संयुक्त निदेशक वित्त(सीसीए)	• बजट • बजट समिति • सांख्यिकी • निष्पादन लागत-निर्धारण एवं परिणाम रिपोर्टिंग • भंडार निविदा
प्रधान कार्यपालक निदेशक/लेखा	निदेशक वित्त/लेखा संयुक्त निदेशक/लेखा संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए	• लेखा संकलन • लेखा नीतियां • वस्तु एवं सेवा कर और सेवा कर • लेखों में कैडर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग • लेखा सुधार समन्वय

नोट

- निरीक्षण कार्यपालक निदेशक वित्त/सी के अंतर्गत किया जाएगा।
- कार्यपालक निदेशक वित्त/सी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य संभाला जाएगा।
- कार्यपालक निदेशक वित्त/आरएमएंड पीपीपी) संसाधन संग्रहण निदेशालय का कार्य संभालना जारी रखेंगे।
- संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए कैडर संबंधित मामले अपर कार्यपालक निदेशक/लेखा के माध्यम से सदस्य वित्त को रिपोर्ट करेंगे।
